राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/15/4468 दिनांकः 02/06/16

## अधिसूचना

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10491/09 श्री भंवर लाल मूदडा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.05.15 द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10( )न.पा. (गठन) सीमा/डीएलबी/09/3241 दिनांक 18.09.09 को निरस्त किया चुका है।

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.10( )(न.पा.)(गठन) सीमा/डीएलबी/05/4263 दिनांक 06.10.08 के द्वारा ग्राम पंचायत, नापासर के क्षेत्र को नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी घोषित किया गया था।

चूंकि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 6.10.2008 व 18.9.2009 के पश्चात ग्राम पंचायत नापासर के चुनाव सम्पन्न हो चुके है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13.5.15 के प्रभावी होने के कारण ग्राम पंचायत नापासर का अस्तित्व समाप्त हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार एतदद्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं.18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नापासर जिला बीकानेर को तुरन्त प्रभाव से नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी घोषित करते हुए सरपंच व उपसरपंच ग्राम पचांयत नापासर को क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नगरपालिका नापासर तथा निर्वाचित पंचायत सदस्यो को सदस्य नगरपालिका नापासर घोषित करती है।

उक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) के अनुसार उक्त उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण मे उल्लेखित "नियत दिवस अर्थात इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक के छः माह की कालावधि अथवा नगरपालिका के चुनाव होने तक की अवधि मे से जो भी पहले हो, उपरोक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य नगरपालिका नापासर के पद धारित करने एवं कार्य करने हेतु अधिकृत किये जाते है।

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् तुरन्त प्रभाव से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उप–धारा (8) के खण्ड (घ) सम्पूर्ण आस्तियां एवं दायित्व नगरपालिका नापासर मे निहित होंगे। इसके अतिरिक्त अधिनियम 2009 की धारा 3 की उप–धारा (8) के खण्ड (च) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत नापासर क्षेत्र नगरपालिका नापासर घोषित किये जाने के फलस्वरूप अब उक्त नगरपालिका क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13 ) के अधीन बनाये गये समस्त नियमो, अधिसूचनाओ, आदेशो तथा उपनियमो के अध्यधीन नही रहेगा। अब उक्त नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 के अन्तर्गत विरचित नियम, उपनियम, अधिसूचनाएं व आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Purushottam Biyani
Director & Special Secretary
Local Self Govt. Department
Raj., Jaipur

Purushottam Biyani
Director & Special Secretary
Local Self Govt. Department
Raj., Jaipur

D:\DLB\HLA\...\Adhisuchana.doc

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/15/4466-4500 दिनांकः 02/06/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज.सरकार,जयपुर
02. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.15 की पालना मे राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 101 के अन्तर्गत आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही किया जाने हेतु।
05. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
08. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
09. जिला कलेक्टर बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र को संक्रमणसील क्षेत्र घोषित किया जाने एवं पंचायत अधिनियम के तहत् नियमानुसार कार्यवाही हेंतु।
10. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
12. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय जयपुर ।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
14. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/समस्त सदस्य (पूर्व सरपंच/उपसरपंच/समस्त सदस्य, ग्राम पंचायत नापासर) नगरपालिका नापासर को भेजकर लेख है कि निर्वाचित सभी सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता व वार्ड संख्या व सीमा क्षेत्र का विवरण शीघ्र भिजवावे।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
16. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज.राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने हेतु।
17. समस्त अनुभाग, निदेशालय।
18. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी